



लिंगा मॉनिटरिंग टॉक

दिया गया व अप्रार्थी/अपीनण के कुल बकाया राशि 5,52,762/- (अक्षरे पात्र लाख  
रुकाया, जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 02.07.2024 को एन.पी.ए. घोषित कर  
उपलब्ध अण को, बैंक के साथ किये गये अण अर्जुबध की शर्तों के नियमानुसार नहीं  
स्वय की खाली जगह तथा दक्षिण में रड्डेश का मकान स्थित है। अप्रार्थी/अपीनण ने  
में स्वय के कव्वे मकान के बाद आम रास्ता, पश्चिम में रहमान की खाली जगह, उत्तर में  
लिंगा टोक में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 193.22 वर्गमीटर है एवं जिसकी सीमाएं पूर्व  
सम्पत्ति/भूखण्ड. पट्टा संख्या 05, वाकें आम फारुखबाद, आम पंचायत लवादर तहसील व  
की स्थिति के एवज में बंधक सम्पत्ति, फंजक के स्वामित्व व अधिपत्य की एक  
उपलब्ध कराया गया था व अप्रार्थी/अपीनण द्वारा प्राप्त किये गये उक्त अण  
4,08,917/रुपये (अक्षरे चार लाख आठ हजार नौ सौ सतराह रुपये मात्र) का अण  
कम्पनी से अण खाता संख्या FINWRI01HL00006006160 से दिनांक 24.02.2023 से  
बैंक/कम्पनी के बंधककर्ता अपी/सहअपी/गारंटर है। अप्रार्थीनण द्वारा प्रार्थी बैंक/  
प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि अप्रार्थीनण,  
Securities Interest Act 2002 के तहत पेश हुआ जो वर्ज रजिस्टर किया गया।

Securisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
प्रार्थी बैंक/कम्पनी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The

दिनांक 02.06.2026 आदेश

असैट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ़ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002  
प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 14 सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एण्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ़ फाइनेंशियल

- अपी/सहअपी/जमानती
1. फंजक पुत्र संपत खा निवासी फारुखबाद, टोक राजस्थान
  2. रडीसन पत्नी फंजक निवासी फारुखबाद, लवादर, टोक राजस्थान
  3. शाहिद खान पुत्र फंजक निवासी फारुखबाद, लवादर, टोक राजस्थान
  4. सदरु खा पुत्र फंजक निवासी फारुखबाद, लवादर, टोक राजस्थान
  5. तैयब खान पुत्र अयूब खान निवासी फारुखबाद, लवादर, टोक राजस्थान

बनाम

सीएफएम एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रथम मॉनिंग, वेकफील्ड हाउस, स्टार्ट रोड,  
बैंगलूर एस्टेट, मुंबई - 400038 ...प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

प्रार्थी दिनांक प्रकरण संख्या  
47/2026 08.05.2026  
(पीठासीन अधिकारी टीना ज़ाबी, आई.ए.एस.)

न्यायालय लिंगा मॉनिटरिंग टॉक





लिया मन्दिरे, टोक  
2026

Handwritten signature

आदेश आज दिनांक 02.06.2026 को खर्चले न्यायालय से सेनाया गया।

वहन किया जायगा।

वैतनभत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमां से देय है जो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति मिनटवाड़े जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 02.06.2026 को कर्मचारियों के रखने हेतु लिया पुलिस अधीक्षक, टोक को पर्याप्त पुलिस जाणा सुईया कराने हेतु निर्णय रजमान आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे से लेते वकत कानून व्यवस्था बनाये सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध से किसी संक्षम न्यायालय का पालना करते हुए कब्जे से लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एसेट्स एण्ड एनकोर्समेंट ऑफ सिविलिटीइन्स्ट्रस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्राधानों की रहन रखी गई सम्पत्ति को ही सिविलिटीइन्स्ट्रेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल निरूप प्रतिकर्षण टोक को भुगतान निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष से उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होना।

है, यदि नियमां के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्राधान की पालना नहीं की गई है तो सम्भल 2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के बाध्य पत्र एवं पत्रा दस्तावेजों के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप को निस्तारण इस कार्यालय से करावे।

1. रहन श्रुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्भलवाते वकत यदि नियमानुसंगत आक्षेप प्राप्त होता है तो सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन श्रुदा सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विवेचन कर उनके द्वारा दिये गये बाध्य नियमां के अनुसार सम्भल कार्यावाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई रजमान प्राधिकृत अधिकारी ने प्रार्थना पत्र के साथ इस आदेश का बाध्य पत्र पत्रा किया कि

in his opinion, be necessary. cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may,